रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275578
CG-DL-E-19082026-275578

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948
No. 670] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 736(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रपत्र नियमों के संबंध में इस प्रकार उपरोक्त अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रपत्र नियमों के प्रति आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ई-मेल: comments-morth@gov.in के माध्यम से भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (……संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके पश्चात् मूल नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 102 के, उप-नियम (1) में, मद (iii) का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियम में, नियम 104 के, उप-नियम (1) में, प्रथम परंतुक में, चतुर्थ मद के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

आगे यह भी प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, एआईएस 052 (संशोधन 1): 2008 में परिभाषित श्रेणी एम3 की टाइप II और टाइप III बसों के पिछले हिस्से पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव कंटूर मार्किंग लगाई जाएगी, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 008 (संशोधन 3): 2025 के आकार और संस्थापना संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होगी, और यदि रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव मार्किंग लगाई गई है, तो उसके कार्य निष्पादन संबंधी आवश्यकताएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 के अनुसार होंगी।

4. मूल नियम में, नियम 104 के, उप-नियम (1) में, प्रथम परंतुक में, पाँचवें मद के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, मद (i) से (iv) में उल्लिखित वाहन श्रेणियों के सभी मॉडलों पर लगाए गए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव मार्किंग को एआईएस 008 (संशोधन.3): 2025 की संस्थापना अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और मद (v) में उल्लिखित वाहन श्रेणियों के सभी मॉडलों को एआईएस 009 (संशोधन.3): 2025 की स्थापना अपेक्षाओं को पूरा करना होगा और मद (i) से (v) में उल्लिखित वाहन श्रेणियों के सभी मॉडलों पर लगाए गए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव मार्किंग को समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस -200:2025 के कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

5. मूल नियम में, नियम 104 के, उप नियम (3) में, मद (iii) को हटा दें।

6. मूल नियम में, नियम 104 के, उप नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, इस नियम और नियम 110 में उल्लिखित मोटर वाहनों में लगे रेट्रो-रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइस, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

7. मूल नियम में, नियम 104-क के, मद (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टर पर लगे रेट्रो-रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइस, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

8. मूल नियम में, नियम 104-ख के उप-नियम (1) में, निम्नलिखित पाठ का लोप किया जाएगा: -

"पीछे की ओर दोनों तरफ कम से कम 7 वर्ग सेंटीमीटर का परावर्तक क्षेत्र होना चाहिए।"

9. मूल नियम में, नियम 104-ख में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कृषि ट्रैक्टरों में लगे रेट्रो-रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव उपकरण, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

10. मूल नियम में, नियम 104-ग में, उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, उप-नियम 1 में उल्लिखित रेट्रो-रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइस, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

11। मूल नियम में, नियम 104-ग में, मौजूदा उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ का लोप किया जाएगा:-

"पीछे की ओर दोनों तरफ कम से कम 7 वर्ग सेंटीमीटर का परावर्तक क्षेत्र होना चाहिए।"

12. मूल नियम में, नियम 104-घ में, निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, इस नियम में उल्लिखित सभी वाहन श्रेणियों में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 200:2025 के अनुरूप रियर मार्किंग प्लेट लगाई जाएगी।

13. मूल नियम में, नियम 104-ङ में, उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, उपरोक्त उप-नियम (1) में संदर्भित रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप / रेट्रो-रिफ्लेक्टिव मार्किंग, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

14. मूल नियम में, नियम 104-ङ के, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, उपरोक्त उप-नियम (2) में संदर्भित रेट्रो-रिफ्लेक्टर / रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइस, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

15. मूल नियम में, नियम 104-ङ के, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर पर लगाई गई रियर मार्किंग प्लेट, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

16. मूल नियम में, नियम 105 के उप-नियम (1) में, मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

"(क) ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया वाहन, तिपहिया अमान्य वाहन और दो पहिया वाहनों के अलावा अन्य मोटर वाहनों के मामले में, दो या चार हेड लैंप;

(ख) ई-रिक्शा, ई-कार्ट और तीन पहिया अमान्य वाहन के मामले में एक या दो हेड लैंप;

17. मूल नियम में, नियम 105 के, उप नियम (1) में, मद (खख) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

आगे यह भी प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, स्वचालित हेड लैंप चालू होने पर केवल पासिंग बीम में ही कार्य करेगा।

18. मूल नियम में, नियम 105 के उप-नियम (2) में, मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) पीछे की ओर दिखाई देने वाली लाल बत्ती वाली दो रियर पोजीशन लैंप और मोटर साइकिल के मामले में पीछे की ओर दिखाई देने वाली लाल बत्ती वाली कम से कम एक रियर पोजीशन लैंप; और

(ii) पीछे की पंजीकरण प्लेट लैंप या कोई अन्य उपकरण, जो वाहन के पीछे प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न के पूरे भाग को सफेद रोशनी से प्रकाशमय करता हो, जिसमें निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर शामिल हैं, और निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में किनारे पर भी प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न को प्रकाशमय करता हो।

19. मूल नियम में, नियम 105 के उप-नियम (2) के मद (ii) के द्वितीय परंतुक में निम्नलिखित पाठ का लोप किया जाएगा:-

“एक सौ पचपन मीटर की दूरी से”

20. मूल नियम में, नियम 105 के, उप-नियम 3 और 6 तथा उनके संबंधित प्रावधानों का लोप किया जाएगा ।

21. मूल नियम में, नियम 110 में, निम्नलिखित शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा:-

“75 मीटर की दूरी से दृश्यमान” और “ताकि इसे 15 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके”

22. मूल नियम में, नियम 110 में, द्वितीय और तृतीय प्रावधानों का लोप किया जाएगा।

23. मूल नियम में, नियम 124 के, उप-नियम (4) में, तालिका में, क्रमांक 12 में, स्तंभ 3 में मौजूदा शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"का. आ. 1365 (अ) दिनांक 13-12-2004 की तालिका का क्रमांक 20 या क्रमांक 20 क,"

"का. आ. 1365 (अ) दिनांक 13-12-2004 की तालिका का क्रमांक 32 या क्रमांक 32 क"

24. मूल नियम में, नियम 124-क के, उप-नियम (1-क) के पश्चात्, उप-नियम (1-ख) को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1-ख) 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, कृषि ट्रैक्टरों पर उपयोग किए जाने वाले उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश-संकेत उपकरणों के फिलामेंट प्रकाश स्रोत, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-034 (संशोधन 3) (भाग 1): 2025 के अनुरूप होंगे।"

25. मूल नियम में, नियम 124-ए में, उप-नियम (2) में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

आगे यह भी प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, कृषि ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों पर लगे रियर वार्निंग ट्रायंगल्स का कार्य निष्पादन, समय-समय पर यथा संशोधित अनुलग्नक 13 के खंड 3.4.3 को छोड़कर, एआईएस-200:2025 की कार्य निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

26. मूल नियम में, नियम 124-ख में, उप-नियम (1) के पश्चात्, उप-नियम (1-क) को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1-क) 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, पावर टिलर के मामले में प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश संकेत उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले फिलामेंट प्रकाश स्रोत समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-034 (संशोधन 3) (भाग 1): 2025 के अनुसार होंगे।"

27. मूल नियम में, नियम 138 के, उप-नियम (4) में, मद (ग) में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

आगे यह भी प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, त्रिभुजों का आकार और विनिर्देश समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 के अनुरूप होंगे।

28. मूल नियम में, नियम 138 में, उप-नियम (4) में, मद (ग) में, मौजूदा द्वितीय परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

आगे यह भी प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2028 को या उसके पश्चात्, एम3 श्रेणी के वाहनों में यदि रेट्रो-रिफ्लेक्टिव त्रिकोण लगा हो, तो उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-200:2025 का अनुपालन करना होगा, जिसमें उक्त मानक के खंड 8.2 में निर्दिष्ट अपेक्षाएं और उक्त मानक के अनुलग्नक 20 के खंड 1.0,2.0,5.0 में निर्दिष्ट अपेक्षाएं शामिल नहीं हैं। वाहन के आगे लगे त्रिकोण का रंग सफेद और पीछे लगे त्रिकोण का रंग लाल होगा। दोनों त्रिकोण आगे और पीछे दोनों ओर आधार स्तर से कम से कम एक मीटर ऊपर, अधिमानतः वाहन के केंद्र में स्थित होंगे। "सफेद रंग के चेतावनी त्रिकोण" के स्थान पर, एआईएस-200:2025 में जहां भी लागू हो, "लाल" शब्द को "सफेद" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा। सफेद रेट्रो-रिफ्लेक्टिव भाग के रंग की आवश्यकताएं एआईएस-200:2025 के अनुसार होंगी और सफेद फ्लोरोसेंट सामग्री के रंग की अपेक्षाएं आईएसओ:7591-82(ई) के खंड 7.1 के अनुसार होंगी।.

[फा. सं. आरटी-11036/102/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. ....(अ) दिनांक __________ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

G.S.R. 736(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said

Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

DRAFT RULES

1. **Short Title and commencement**-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 102, in sub-rule (1), item (iii) shall be omitted.

3. In the principal rules, in rule 104, in sub rule (1), in first proviso, after fourth item, following proviso shall be inserted namely:

"Provided further that, on and after 1st April 2028, Type II & Type III buses of Category M3 as defined in AIS 052 (Rev1): 2008 shall be affixed with retro-reflective contour marking at the rear, conforming to the size and installation requirements of AIS 008 (Rev.3): 2025, as amended from time to time and performance requirements of retro-reflective tapes / retro-reflective marking if fitted shall be as per AIS-200:2025, as amended from time to time."

4. In the principal rules, in rule 104, in sub rule (1), first proviso, after fifth item, following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, retro-reflective tapes / retro-reflective marking fitted on all models of the vehicle categories mentioned in item (i) to (iv), shall meet installation requirements of AIS 008 (Rev.3): 2025 and all models of vehicle categories mentioned in item (v) shall meet installation requirements of AIS 009 (Rev.3): 2025 and retro retro-reflective tapes / retro-reflective marking fitted on all models of vehicle categories mentioned in item (i) to (v), shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

5. In the principal rules, in rule 104, in sub rule (3), delete item (iii).

6. In the principal rules, in rule 104, after sub rule (4), following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, the retro-reflectors / retro-reflective devices referred to in this rule and in rule 110 fitted with motor vehicles shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

7. In the principal rules, in rule 104-A, after item (vii), following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, the retro- reflectors / retro-reflective devices fitted on construction equipment vehicles and combine harvesters, shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

8. In the principal rules, in rule 104-B, in sub rule (1), the following text shall be omitted: -

"of not less than 7 sq. cm reflecting area one each on both sides at the rear."

9. In the principal rules, in rule 104-B, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, the retro-reflectors / retro-reflective devices referred to in sub-rule (1) fitted with agricultural tractors, shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

10. In the principal rules, in rule 104-C, after sub-rule (1), following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, retro-reflectors / retro-reflective devices referred in sub-rule 1 above, shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

11. In the principal rules, in rule 104-C, in for existing sub rule (2), the following the following text shall be omitted:-

"of not less than 7 sq. cm reflecting area one each on both sides at the rear."

12. In the principal rules, in rule 104-D, following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, all vehicle categories mentioned in this rule, shall be fitted with rear marking plate, conforming to AIS 200:2025, as amended from time to time."

13. In the principal rules, in rule 104-E, after sub-rule (1), following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, retro-reflective tapes / retro-reflective marking referred in sub-rule (1) above, shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

14. In the principal rules, in rule 104-E, after sub-rule (2), following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, retro- reflectors / retro-reflective device, referred in sub-rule (2) above, shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

15. In the principal rules, in rule 104-E, after sub-rule (3), following proviso shall be inserted namely:

"Provided that, on and after 1st April 2028, rear marking plate fitted on Modular hydraulic trailer shall meet performance requirements of AIS-200:2025, as amended from time to time."

16. In the principal rules, in rule 105, in sub rule (1), for item (a) and (b) following items shall be substituted:-

"(a) in the case of motor vehicle other than E-rickshaws, E-carts, three-wheelers, three-wheeled invalid carriages and two wheelers, two or four head lamps;

(b) in the case of E-rickshaws, E-carts and three-wheeled invalid carriages one or two head lamps;"

17. In the principal rules, in rule 105, in sub rule (1), in item (bb), after the second proviso, the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided further that, on and after 1st April 2028, the Automatic Head Lamp on operation shall operate in passing beam only."

18. In the principal rules, In rule 105, in sub rule (2) , for item (i) and (ii), following shall be substituted namely:-

"(i) Two Rear Position lamps showing red light visible in the rear and in the case of a motor cycle atleast one rear position lamp showing red light visible in the rear; and

(ii) Rear registration plate lamp or some other device, illuminating with a white light the whole of the registration mark exhibited on the rear of the vehicle including construction equipment vehicle and combine harvester, and on the side in the case of construction equipment vehicle and combine harvester."

19. In the principal rules, In rule 105, in sub rule (2) , in item (ii), in second proviso following text shall be omitted :-

"from distance of one hundred and fifty-five metres"

20. In the principal rules, In rule 105, omit sub-rule 3and 6 and their respective provisions.

21. In the principal rules, in rule 110, the following words and figures shall be omitted:-

"visible from the distance of 75 m" and "so as to render it legible from a distance of 15 meters"

22. In the principal rules, in rule 110, the second and third provisos shall be omitted.

23. In the principal rules, in rule 124, in sub-rule (4), in the table, in sr. No. 12, in column 3 for existing words and figures, the following words and figures shall be substituted, namely:

"Sl. No. 20 or Sl. No. 20 A of Table of S.O. 1365 (E), dated 13-12-2004"

"Sl No. 32 or Sl. No. 32 A of Table of S.O. 1365(E), dated 13-12-2004"

24. In the principal rules, in rule 124-A, after sub-rule (1-A), sub-rule (1-B) shall be inserted, namely:

"(1-B) On and after 1st April 2028, filament light source of the lighting and light-signalling devices specified in sub-rule (1) used on agricultural tractors, shall conform to AIS-034 (Rev.3) (Part 1): 2025 as amended from time to time."

25. In the principal rules, in rule 124-A, in sub rule (2), after third proviso, following proviso shall be inserted namely:

"Provided further that, on and after 1st April 2028, the performance of rear warning triangles fitted on agricultural tractors and combine harvesters shall meet the performance requirements of AIS-200:2025 except for clause 3.4.3 of Annex 13 as amended from time to time."

26. In the principal rules, in rule 124-B, after sub-rule (1), sub-rule (1-A) shall be inserted namely:

“(1-A) On and after 1st April 2028, in case of power tillers the filament light sources used for lighting and light signalling devices Shall be in accordance with AIS-034 (Rev.3) (Part 1): 2025 as amended from time to time.”

27. In the principal rules, in rule 138, in sub-rule (4), in item (c), after first proviso following proviso shall be inserted, namely:

“Provided further that, on and after 1st April 2028, the triangles of size and specifications shall conform to AIS-200:2025, as amended from time to time.**”**

28. In the principal rules, in rule 138, in sub-rule (4), in item (c), after the existing second proviso following proviso shall be inserted, namely:

“Provided further that, on and after 1st April 2028, in addition, M3 category of vehicles if fitted with a retro-reflective triangle shall comply to AIS-200:2025, as amended from time to time, excluding the requirements specified in clause 8.2 of said standard and clauses 1.0, 2.0, 5.0 of Annex 20 of the said standard. The colour of the triangle fitted in the front of the vehicle shall be white, and that of the rear shall be red. The location of both the triangles shall be at least one meter above the ground level at the front and rear, preferably at the centre of the vehicle. For “white colour warning triangle”, the word “red” shall be substituted by the word “white” whenever applicable in AIS-200:2025. The colour requirements of the white retro-reflective portion shall be as per AIS-200:2025 and the white fluorescent material shall be as per clause 7.1 of ISO:7591-82(E).”.

[F. No. RT-11036/102/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addll. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020, and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.08.19 16:18:45 +05'30'